XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 294–एक/15 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–3–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर द्वारा प्र0क0 188/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–1–15 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर अपील अवधि में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत विस्तृत विवेचना करते हुए विलंब माफ किया जाकर अपील को जानकारी दिनांक से समयावधि के अंदर मान्य किया गया है । विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि विवेक का उपयोग अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टि से नहीं किया गया है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2015/निगरानी निगरानी 294-I-15

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव Adv.
द्वारा आज दि. 05/2/15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-2-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. भगवानदास पुत्र श्री परमानन्द उम्र-55वर्ष
2. गनपत पुत्र श्री परमानन्द उम्र-53वर्ष
3. रामअसरे पुत्र श्री परमानन्द उम्र-51वर्ष
4. मइयादीन पुत्र श्री परमानन्द उम्र-48 वर्ष

निवासीगण-ग्राम प्रकाश बम्होरी (भाऊ का खोडा) तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0

----आवेदकगण

बनाम

1. शिवकुमारी वेवा रामप्रकाश यादव
2. बबली पुत्री रामप्रकाश यादव,

निवासी-ग्राम प्रकाश बम्होरी (भाऊ का खोडा) तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0

----अनावेदकगण

बृजेन्द्र सिंह यादव
05/2/15

3. रेखा पुत्री रामप्रकाश,

----फॉर्मल पक्षकार

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर प्रकरण क्रमांक-188/अपील/12-13.

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-